१०१ न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

III/निग/रीवा/भू.रा.सं./2017/2697

1— उमाकान्त पाण्डेय तनय बैजनाथ पाण्डेय उम्र—70 वर्ष, निवासी ग्राम—सुमेदा कला, तहसील—नईगढी, जिला—रीवा (म0प्र0)

2— रमाकान्त पाण्डेय तनय बैजनाथ पाण्डेय उम्र—74 वर्ष, निवासी ग्राम—सुमेदा कला, तहसील—नईगढी, जिला—रीवा (म0प्र0)

.........आवेदकगण

विरूद्ध

नागेश्वर पाण्डेय तनय रामप्रताप पाण्डेय निवासी ग्राम—सुमेदा कला, तहसील—नईगढी, जिला—रीवा (म0प्र0)

.........अनावेदक

निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नईगढी तह0 नईगढी जिला—रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक 44A/12/2017 आदेश दिनांक 20.7.2017 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

O.P. Sharma Adv
17.8.17

श्री ओ.पी. शर्मा एड. द्वारा आज दि. 17/8/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17.8.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त विवरण निम्न हैः—

1— यह कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक द्वारा भूमि नम्बर 326 का सीमांकन का आवेदन पत्र दिया गया था। अनावेदक के भूमि का सरहदी कास्तकार भूमि नम्बर 327 का आवेदक है। आवेदक द्वारा भी सीमांकन का आवेदन दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षण को मौके पर जाकर सीमांकन करने का आदेश दिया गया जिसमें भूमि नम्बर 327/1 अबंश रकवा 0.10 डि0 दबाकर पत्थर जोड़े गये/सीमांकन प्रतिवदेन दिनांक 27.06.2015 को दिया गया। जानकारी होने पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति पर तहसीलदार द्वारा पुनः

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रींवा/भूरा/2017/2697

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
25-9-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा तहसीलदार नई गढ़ी जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/2017 में पारित आदेश दिनांक 20.7.17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2-आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार पुनः सीमांकन करने के दिनांक 30.9.16 को आदेश दिये गये तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि दिनांक 27.6.15 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी हल्का द्वारा गठित टीम द्वारा सीमांकन किया गया है। सीमांकन में संशेधन की आवश्यकता नहीं है एवं पुनः सीमांकन उचित प्रतीत नहीं होता है। इस आधार पर सीमांकन की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। आवेदक को पुनः सीमांकन कराने का अवसर समाप्त कर दिया गया है। तहसीलदार नई गढ़ी जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/2017 में पारित आदेश दिनांक 20.7.17 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार नई गढ़ी जिला को प्रत्यावर्तित किया	

जाता है कि वह उभयपक्ष एवं सरहदी कास्तकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवार प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन कार्यवाही कर उचित आदेश पारित करें।

सदस्य